UPAU010036622022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, औरैया।

दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 136 / 2022

श्रीमती आरती प्रति हरिओम गुप्ता आदि।

दिनांक 07.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र कागज संख्या 4ख एवं सूची 6ख से प्रपत्र संख्या 6ख / 1 लगायत 9ख पत्रावली में दाखिल किया है।

प्रार्थिनी ने विपक्षीगण नाम–पता व साक्षीगण के नाम तथा घटना का सम्पूर्ण विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दृष्टिगत, मामले में कोई बरामदगी होनी सम्भावित नहीं है। परिवाद पत्र के समर्थन में प्रार्थिनी स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थिनी श्रीमती आरती का प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। परिवादिनी दिनांक 22.11.2022 को ब्यान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु प्रस्तुत हो।

(संजय कुमार सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0 / एस0सी0 एक्ट, औरैया।
JO Code No.- UP6476

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINGH
Date: 2022.11.07 15:56:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court